

28665

अंशुल अग्रवाल, मा० प्र० से०
जिला पदाधिकारी, बक्सर

समाहरणालय, बक्सर
(विकास शाखा)

Anshul Agarwal, I.A.S.
District Magistrate

E-mail Id : dm-buxar.bih@nic.in, Ph. (06183) 222335 (Res.), 222336(Off.), Fax No. (06183) 222231(Res.) 226935(Off.)

पत्रांक 05-0680/वि०
प्रेषक,

दिनांक :- 28/11/2023

जिला पदाधिकारी,
-सह-
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति,
बक्सर



सेवा में,

Consultant (Judicial),
NGT, New Delhi

विषय:- माननीय NGT नई दिल्ली द्वारा दिनांक-18.09.2023 को पारित आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्र दिनांक-13.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. No- 200/2014 (I.A NO. 340/2022) एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक:-18.09.2023 को पारित आदेश के आलोक में जिलान्तर्गत संबंधित विभागों से प्राप्त निम्नवत कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है :-

क्र०	माननीय NGT नई दिल्ली द्वारा दिनांक-18.09.2023 को पारित आदेश के KEY POLLUTION ISSUES	जिलान्तर्गत संबंधित विभागों का कृत कार्रवाई प्रतिवेदन
1.	Groundwater contamination with Arsenic, Fluoride, Nitrate, Iron and Lead. Its causing lot of health issues (including cancer/Gallbladder cancer) amongst people residing in the Gangetic belt.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमडल, बक्सर के पत्रांक 1518, दिनांक-17.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बक्सर जिले के कुल-39 ग्राम पंचायतों यथा बक्सर प्रखंड के 06 पंचायत-सोनवर्षा, खुटहाँ, दलसागर, चुरामनुपर, उमरपुर एवं अहिरौली, सिमरी प्रखंड के सभी 20 पंचायत एवं चक्की प्रखंड के सभी 04 पंचायत तथा ब्रह्मपुर के 09 पंचायत यथा- निमेज, महुआर, हरनाथपुर, योगिया, गायघाट, गहौना, बैरिया, 40 नैनीजोर एवं 30 नैनीजोर पंचायतों में 487 अदद वार्ड आर्सेनिक से प्रभावित है। वर्तमान में "हर घर नल का जल" योजना के तहत आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में आर्सेनिक रिमूवल प्लांट लगाकर आर्सेनिक मुक्त जलापूर्ति की जा रही है।
2.	Sewage being discharges into the river and tributaries- Sewage that include domestic wastes, hospital wastes, industrial areas etc. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the operation of the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the	1. परियोजना निदेशक, बुडको, बक्सर के पत्रांक 157, दिनांक-13.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिले में बक्सर शहर अंतर्गत गंगा में Sewage discharge को रोकने हेतु STP के निर्माण हेतु विभाग द्वारा चिन्हित Consultant द्वारा DPR का निर्माण किया जा रहा है। 2. उप विकास आयुक्त, बक्सर के पत्रांक 2502, दिनांक-14.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिले के गंगा ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु WPU का निर्माण किया गया/जा रहा है। सभी 15 गंगा

788/23/54
20/11/23

CA 20/11/23
PLP
M. B. B. B.

Ld. R. C.
28-11-2023
con. (2)

	main Ganga River (after Patna)	ग्राम पंचायतों में घर-घर से कचरा का उठाव किया जा रहा है। WPU के मध्यम से सूखे एवं गीले कचड़े का सुरक्षित निपटान किया जा रहा है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सामुदायिक सोखता गड्ढा एवं नाली आउटलेट का निर्माण किया गया है। जिलान्तर्गत पंचायतों में प्रत्येक माह अभियान चलाकर Legacy Waste dump Site का निष्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत Waste dump site को चिन्हित कर सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है।
3.	Illegal sand and stone mining-by use of heavy machinery results in damage to the river ecology, depletion of ground water, ecological damage to the aquatic species and migratory birds, erosion of river bank and flood plains, damage to infrastructural projects, loss of royalty and cess etc)	खनिज विकास पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 775, दिनांक-14.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 1. बक्सर जिला अंतर्गत गंगा एवं ठोरा नदी क्षेत्र से बालू का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। 2. ठोरा नदी के बालूघाटों का रकबा 05 Hectare से कम होने के कारण बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 14 (ख) के अनुसार बंदोबस्ती नहीं किया जा रहा है।
4.	Flood Plain encroachment and operation of brick kilns on the floodplains of River Ganga.	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर के पत्रांक 966 दिनांक-21.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिलान्तर्गत गंगा एवं सहायक नदियों के Flood Plain में अतिक्रमण नहीं किया गया है, साथ ही गंगा एवं सहायक नदी के किनारे तटीय क्षेत्रों में ईट भट्टा का संचालन नहीं किया जा रहा है।
5.	Conservation of aquatic species- Gangetic Dolphins, Gharial, otters, turtles and several aquatic and terrestrial birds. Bank feature alteration due to land-use changes such as agriculture, construction activities and sand mining has disrupted the lateral connectivity of the river in the floodplain. Sandbar cultivation in the states of Bihar and Jharkhand has rendered the habitat unsuitable for use as nesting sites by turtles and island-nesting birds. These existing threats are further heightened by the impacts of climate change and altered water quality, questioning the survival of the aquatic species.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 2456, दिनांक-07.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जिले में Gangetic Dolphins, Gharial, otters, turtles and aquatic Birds के पाये जाने एवं इनके संरक्षण हेतु 1240500.00 का Annual Plan की स्वीकृति हेतु विभाग को भेजे जाने की सूचना से अवगत कराया गया। जिले में aquatic Birds एवं गंगा एवं सहायक नदियों में पाये जाने वाले Aquatic Wild life के संरक्षण हेतु World Wild Life Day, World Environment Day आदि के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है।
6.	Industrial pollution-discharge of effluents in the tributaries of Ganga River and in the main stem itself. Detailed status report regarding quality assessment of effluents from all industrial area may be provided. Similarly, information on CETP performance report and timeline for establishment new CETP	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर के पत्रांक 1006, दिनांक-26.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बक्सर जिला में कोई भी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है, जिससे जल-प्रदूषण हो।

	may also be furnished.	
7.	Plantation on both sides of the river	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 2456, दिनांक-07.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा As far as Bhojpur Forest Division is concerned, the Forestry Intervention for Ganga under Namami Ganga is being implemented. In FY2022-23, the Plantation and Maintenance works for 33865 Plants have been done under the said scheme. For FY2023-24, Plantation and Maintenance works for 38365 plants have been proposed under Namami Ganga Project under DGC, BUXAR.
8.	Biomedical waste disposal system- Many big towns and cities Like, Patna, Buxar, Bhagalpur etc have numerous health clinics and hospitals.	असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 3957, दिनांक-08.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिलान्तर्गत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के बायोमेडिकल वेस्ट का उठाव मे 0 संगम मेडिसर्व प्रा०लि०, पटना द्वारा किया जाता है। साथ ही नैदानिक स्थापना नियमावली-2013 के तहत निजी अस्पतालों एवं जाँच केन्द्रों (Pathology & Diagnostic Cente) का निबंधन बायोमेडिकल वेस्ट प्रमाण पत्र के आलोक में ही किया जाता है। नगर परिषद, बक्सर क्षेत्रान्तर्गत बायोमेडिक अपशिष्ट के निष्पादन हेतु, IGIMS, PATNA से पंजीकरण किया गया है। बायोमेडिक अपशिष्ट के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
9.	Hazardous waste disposal (Status from all Industries/Industrial estates/thermal power plants/ dairy/ leather units etc in the 38 districts of Bihar).	Head (Environment), STPL/BTPP, Chausa, Buxar के पत्रांक 1525, दिनांक-20.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नवत कार्रवाई किया गया है 1. 1320 MW Buxer Thermal Power Project is under contraction. During construction due to movement of vehicles and equipment's dust has likely to be emitted. For suppression of dust particles regular water sprinkling is being on road and dust prone areas. 2. The Buxer Thermal Power Project is based on Zero Liquid Discharge Mechanism i.e. no effluent will be released during operation of the project. All the liquid waste will be reutilized after treatment in ash handling, Green belt watering and water sprinkling in coal handling areas. 3. A 60 KLD Sewage Treatment Plant (STP) and 50 M ³ per Hour Effluent Treatment Plant (ETP) are being constructed for treatment of sewage water and effluent generated during operation of the Project. 4. M/s L&T (EPC Contractor involved in the construction of Project) has been tie-up with Narayan Collage and Hospital, Rohtas for disposal of Biomedical waste generated form the dispensary and first aid centre. 5. Green belt is being developed to enhance the green cover in the plant premises as per MoEF&CC guidelines. 6. Monthly ambient air quality monitoring and ground water quality monitoring are being done. 7. Flue Gas Desulphurization (FGD) for SO _x emission control, Selective Catalytic Reactor (SCR) for NO _x emission control and Electrostatic Precipitator (ESP) for control of particulate matter are being installed for reduction the air pollutants to be generated during operation. 8. During operation of the project automatic 24x7 ambient air quality monitoring and flue gas (Chimney) monitoring will be done. 9. A 275 meter high Chimney has been contracted for dispersal and dilution of flue gas emitted during operation of the project. 10. For disposal of fly ash generated during operation MoEF&CC guideline shall be followed.

		Submitted please
10.	Municipal solid waste disposal and legacy waste remediation.	<p>कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर के पत्रांक 2900, दिनांक-16.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा नगर परिषद, बक्सर क्षेत्रान्तर्गत निकले कचड़े के निष्पादन हेतु लैण्डफील साईट का चयन किया जा चुका है। लैण्डफील साईट के चाहरदीवारी हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिसके उपरांत Solid Waste Disposal के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।</p> <p>Legacy Waste remediation के लिए नगर विकास विभाग, बिहार द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। Legacy Waste के आकलन हेतु कोटेशन प्रकाशित किया गया है। आकलन होने के उपरांत Remediation का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।</p>
11.	Shifting of River Ganga from its original/old course (noticed in districts like Patna)	-

अनुलग्नक :-यथोक्त।

विश्वामाजुन

22/11/23
जिला पदाधिकारी,

-सह-

अध्यक्ष, जिला गंगा समिति,
बक्सर

28669

कुमार अरूप, बि०ई०से०
कार्यपालक अभियंता, बक्सर

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,
बक्सर

Kumar Arup, BES
Executive Engineer



E-mail id :- nnpbuxar@yahoo.in, Phone No. (06183-295053) (Off.), Mob. No.- 8544428573

पत्रांक.....1518.....बक्सर/दिनांक.....17-11-2023.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
—सह— अध्यक्ष, जिला गंगा समिति,
बक्सर।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) नई दिल्ली में दायर O.A. No.-
200/2014 (I.A. No.- 340/2022) एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ व
अन्य में दिनांक - 18.09.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।


प्रसंग :- भवदीय पत्रांक - 05-0606/वि०, दिनांक - 19.10.2023

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है बक्सर जिले के कुल- 39 ग्राम पंचायतों यथा बक्सर प्रखंड के 06 पंचायत- सोनवर्षा, खुटहॉ, दलसागर, चुरामनपुर, उमरपुर एवं अहिरौली, सिमरी प्रखंड के सभी 20 पंचायत एवं चककी प्रखंड के सभी 04 पंचायत तथा ब्रह्मपुर के 09 पंचायत यथा - निमेज, महुआर, हरनाथपुर, योगिया, गायघाट, गहौना, बैरिया, द० नैनीजोर एवं उ० नैनीजोर पंचायतों में 487 अवद वार्ड आर्सेनिक से प्रभावित है। वर्तमान में "हर घर नल का जल" योजना के तहत आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में आर्सेनिक रिमूवल प्लॉट लगाकर आर्सेनिक मुक्त जलापूर्ति की जा रही है।

सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता
लोक स्वा० प्रमण्डल, बक्सर

 बिहार सरकार	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (बिहार सरकार का उपक्रम) परियोजना निदेशक का कार्यालय, बक्सर फोन न०- 9905746172. Email-pdbuxar123@gmail.com	 BUDEX Building Better Tomorrow
--	--	--

सेवा में, पत्रांक- 157 दिनांक- 13.11.2023

जिला पदाधिकारी,
 -सह-
 अध्यक्ष, जिला गंगा समिति,
 बक्सर।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A No- 200/2014 (I.A No. 340/2022) एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक:-18.09.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय का पत्रांक 0606/विकाश शाखा, दिनांक-19.10.2023
 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बक्सर शहर अन्तर्गत प्रस्तावित STP एवं Sewerage Networking का DPR बनाने हेतु बुडको मुख्यालय द्वारा Consultant, Green Design and Engineering Services Pvt Ltd. के साथ एकरारनामा किया गया है। Consultant द्वारा उक्त कार्य हेतु DPR का निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं वर्तमान में उक्त योजना हेतु कुल-5 स्थल को चिन्हित किया गया है जहाँ Sewage pumping station/Intermediate pumping station का निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता होगी। उक्त चिन्हित सरकारी स्थल को Consultant द्वारा अमीन से सत्यापित करवाया गया है, एवं निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित चिन्हित स्थल पर 25m x 30m भूमि की आवश्यकता है। जिसके क्रम में उक्त सभी भूमि का सत्यापन अंचलाधिकारी, बक्सर द्वारा किया गया है एवं अंचलाधिकारी बक्सर के पत्रांक-4084, दिनांक-28.10.2023 द्वारा यह बताया गया है कि उक्त सभी भूमि सिंचाई विभाग, विहार सरकार की है (छायाप्रति संलग्न)।

सादर सूचनार्थ ।

विश्वासभाजन


 13/11/2023
 परियोजना निदेशक
 बुडको, बक्सर।

मनरेगा अन्तर्गत जिला-बक्सर में गंगा नदी के किनारे अवस्थित पंचायतों में वृक्षारोपण से संबंधित प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष-2023.24

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पंचायतों का नाम	रोपित पौधों की संख्या	अभ्युक्ति
1	ब्रह्मपुर	उत्तरी नैनीजोर	2400	
2	ब्रह्मपुर	दक्षिणी नैनीजोर	2600	
3	ब्रह्मपुर	महुआर	2400	
4	चक्की	जवहीदीयर	2000	
5	चक्की	चक्की	2800	
6	चक्की	चन्दा	3200	
7	चक्की	अरक	3000	
8	बक्सर	खुटहां	800	
9	बक्सर	उमरपुर	1800	
10	बक्सर	कमरपुर	4000	
11	बक्सर	आहिरौली	1000	
12	सिमरी	राजपुर परसनपाह	2000	
13	सिमरी	नियाजीपुर	1600	
14	सिमरी	गंगौली	1400	
15	सिमरी	राजापुर	1200	
16	चौसा	बनारपुर	200	
कुल			32400	



जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा
बक्सर।

(Lohiya Swachh Bihar Abhiyan)

Compliance updated report on main identified point of Hon'ble NGT

S.no	Main Identified Point of Hon'able NGT	Points related to Concern Departments	Status of Action Taken/Proposed to be taken by the Concern department
1.	Utilization of treated Sewage, use of sludge of as a manure and septage management	SBM	N.A
2.	Preventing dumping of Solid Waste and other Waste in and around Ganga	SBM	जिले के गंगा ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु WPU का निर्माण किया गया/जा रहा है। जिस पंचायत में भूमि की अनुपलब्धता के कारण WPU निर्माण नहीं किया गया है या नहीं किया जा सकता है उस पंचायत को बगल वाले पंचायत के WPU से टैग किया गया/जाना है। सभी 15 गंगा ग्राम पंचायतों में घर-घर से कचरा का उठाव किया जा रहा है। WPU के माध्यम से सूखे एवं गीले कचरे का सुरक्षित निपटारा किया जा रहा है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सामुदायिक सोखता गड़दा एवं नाली आउटलेट का निर्माण किया गया है।
3.	Clearing Old Legacy Waste dump site	SBM	प्रत्येक माह अभियान चलाकर Legacy Waste dump site का सफाई किया जा रहा है। वर्तमान में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत Waste dump site को चिन्हित कर सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है।
4.	Any other Direction covered by early orders of this tribunal	SBM	N.A



10/11/23

जिला समन्वयक

-सह-संयोजक

जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बक्सर।

जिला खनन कार्यालय, बक्सर।

पत्रांक 775 / खनन, बक्सर, दिनांक 14 / 11 / 2023

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी
बक्सर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
-सह-
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति,
बक्सर।

विषय:-

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. NO-200/2014 (I.A NO. 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक-18.09.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय का पत्रांक 05-0606/वि0, दिनांक-19.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. NO-200/2014 (I.A NO. 340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक-18.09.2023 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु जिला खनन कार्यालय, बक्सर का अद्यतन कार्य योजना निम्न प्रकार है:-

1. बक्सर जिला अंतर्गत गंगा एवं ठोरा नदी क्षेत्र से बालू का खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।
2. ठोरा नदी के बालूघाटों का रकबा 05 Hectare से कम होने के कारण बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 14 (ख) के अनुसार बंदोबस्ती नहीं किया जा सकता।
3. गंगा बालूघाट के बंदोबस्ती हेतु 03 बार ई-निविदा निकाली गई परन्तु निविदाकर्ता द्वारा एक भी निविदा नहीं डाली गयी।
4. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 29 (क) 4 के प्रावधानों के आलोक में समाहर्ता के अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त कर सुरक्षित जमा राशि का पुनरीक्षण कर ई-निविदा निकाली जायेगी।

सादर सूचनार्थ समर्पित

विश्वासभाजन

Akash Kumar
14/11/2023खनिज विकास पदाधिकारी
PO- बक्सर।

28675



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर
E-mail Id : fedbxr@gmail.com

पत्रांक- 966

दिनांक- 21 / 11 / 2023

श्रीवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

विषय:-

मानवीय राष्ट्रिय न्यायाधिकरण हरित (NGT) नई दिल्ली में दायर O.A No.-200/2014 (I.A No.340/2022) एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक-18.09.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय का पत्रांक-05-0606 / वि0 दिनांक-19.10.2023

महाशय,

रही है।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित की जा

अनु0:-यथावत्।

यह भवदीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर
21.11.23

प्रश्न कंडिका (4)	उत्तर
Flood Plain encroachment and operation of brick kilns in the flood plains of river ganga.	There is no encroachment in flood places on river ganga in badis of buxar. Also no brick kilns operated there.


कार्यपालक अभियंता
वाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर
21/11/23



कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

कानून कोठी, धनुपुरा, आरा, पिन-802301, E-mail -dfobhojpurdivision@gmail.com

पत्रांक 2456 /



राज कुमार, एम. शांजोशान
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

जिला पदाधिकारी,

--सह--

अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, बक्सर।

दिनांक 7 / 11 / 2023

विषय :-

माननीय NGT, नई दिल्ली में दायर O.A No-200/2014 (I.A No. 340/2022) एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य के संबंध में दिनांक-18.09.2023 को पारित आदेश के अनुपालन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

समाहरणालय, बक्सर (विकास शाखा) का पत्रांक-05-0606 / वि० दिनांक-19.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि माननीय NGT, नई दिल्ली में दायर O.A No-200/2014 (I.A No. 340/2022) एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य के संदर्भ में दिनांक-18.09.2023 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा से संबंधित अद्यतन कार्य योजना (Action Plan) का प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा।

2564

19215

Compliance Report for the instructions issued vide DM letter no. 05-0606 Dated-19.10.2023 for NGT O.A. No-200/2014 (I.A. No. 340/2022) dated 18/09/ 2023.

Sl No	Key Pollution Issues identified by Hon'ble NGT.	Compliance Report
01	Groundwater contamination with Arsenic, Fluoride, Nitrate, Iron and Lead. Its causing lot of health issues (including cancer/ Gallbladder cancer) amongst people residing in the Gangetic belt.	Not related to Bhojpur Forest Division, Arrah
02	Sewage being discharges into the river and tributaries- Sewage that includes domestic wastes, hospital wastes, industrial areas etc. Sewarage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the operation of the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna).	Not related to Bhojpur Forest Division, Arrah
03	Illegal sand and stone mining- by use of heavy machinery results in damage to the river ecology, depletion of ground water, ecological damage to the aquatic species and migratory birds, erosion of river bank and flood plains, damage to infrastructural projects, loss of royalty and cess etc)	Not related to Bhojpur Forest Division, Arrah
04	Flood pain encroachment and operation of brick kilns on the floodplains of River Ganga.	Not related to Bhojpur Forest Division, Arrah

Attached as Annexure 1	
05	<p>Conservation of aquatic species- Gangetic Dolphins, gharial, otters, turtles and several aquatic and terrestrial birds. Bank feature alteration due to land- use changes such as agriculture, construction activities and sand mining has disrupted the lateral connectivity of the river in the floodplain. Sandbar cultivation in the states of Bihar and Jharkhand has rendered the habitat unsuitable for use as nesting sites by turtles and island-nesting birds. These existing threats are further heightened by the impacts of climate change and altered water quality, questioning the survival of the aquatic species.</p> <p>Industrial pollution- discharge of effluents in the tributaries of Ganga River and in the main stem itself, Detailed status report regarding quality assessment of effluents from all industrial area may be provided. Similarly, information on CETP performance report and timeline for establishment new CETP may also be furnished.</p>
06	<p>Not related to Bhojpur Forest Division, Arrah</p>
07	<p>Plantation on both sides of the River</p> <p>As far as Bhojpur Forest Division is concerned, the Forestry Intervention for Ganga under Namami Ganga is being implemented. In FY2022-23, the Plantation and Maintenance works for 33865 plants have been done under the said scheme. For FY2023-24, Plantation and Maintenance works for 38365 plants have been proposed under Namami Ganga scheme, but has not yet been sanctioned by the appropriate government.</p>

8	Biomedical waste disposal system- many big towns and cities like patna, buxar, Bhagalpur etc have numerous health clinics and hospitals.	Not related to Bhojpur Forest Division, Arrah
9	Hazardous waste disposal (Status from all industries/ Industrial estates/ thermal power plants/ dairy/ leather units etc in the 38 districts of Bihar).	Not related to Bhojpur Forest Division, Arrah
10	Municipal Solid waste disposal and legacy waste remediation.	Not related to Bhojpur Forest Division, Arrah
11	Shifting of River Ganga from its original/ old course (noticed in districts like Patna)	Not related to Bhojpur Forest Division, Arrah


 Divisional Forest Officer,
 Bhojpur Forest Division, Arrah

Annexure 1

KEY ISSUE 05: Conservation of aquatic species- Gangetic Dolphins, gharial, otters, turtles and several aquatic and terrestrial birds. Bank feature alteration due to land- use changes such as agriculture, construction activities and sand mining has disrupted the lateral connectivity of the river in the floodplain. Sandbar cultivation in the states of Bihar and Jharkhand has rendered the habitat unsuitable for use as nesting sites by turtles and island-nesting birds. These existing threats are further heightened by the impacts of climate change and altered water quality, questioning the survival of the aquatic species.

Aquatic species such as Gangetic Dolphins, Turtles, aquatic birds are found in and around the Ganga stretch in the district of Buxar.

For conservation for Gangetic dolphins and other aquatic species, the Bhojpur Forest Division has submitted Annual Plan of Operation (APO) under the Integrated Development of Wildlife Habitat (IDWH) – Conservation of rare endangered species. The project cost is 12983129 vide letter no.148 and dated 02-03-2023. The project has been sanctioned by the Government of India at the cost of 123123. Once the allotment is received, the various components will be implemented as described in the sanctioned Annual Plan of Operation.

Sr. No	Scheme Name	Work Details	Project Cost	Location
1	CSS- 'Development of Wildlife Habitats' APO 2023-24 for Bhojpur Forest Division Ara	Conservation of Gengetic Dolphin & Gharial and high value biodiversity areas in Ganga Rivers. Dolphins in Ganga river segment n Buxar, Bhojpur districts Bhojpur forest division, 'Recovery programme for saving critically Endangered Species"	1240500.00	In around the Gangetic Stretches in Buxar District.

As far as aquatic birds are concerned, the Bhojpur Forest Division has conducted the Annual Bird Count exercise in 2022 and 2023 inventorising the number of individuals and species of aquatic birds found in the stretches of Ganges.

Summary of AWC 2023 is as follows,

Sr. No	District	Wetland	Total Count
1	Bhojpur & Buxar	Chausa-Ahirauli Ganga	5703
2		Gokul Jalashay	1424
3		Sunki Suhiya	993
Total			8110

Last but not least, the threats attributed to survival of aquatic wildlife found in the stretches of Ganga in the district of Buxar are being addressed by generating awareness programmes during World Wetland Day, World Wildlife Day, World Environment Day etc. Further, the provisions of Wildlife Protection Act 1972 are being implemented to ensure deterrence for crimes committed against wildlife found in and around Ganga.


Divisional Forest Officer,
Bhojpur Forest Division, Ara

28683

कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर।

पत्रांक 1006 / जि0उ0के0, बक्सर / दिनांक 26/10/2023

विषय,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र,
बक्सर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
—सह—
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति,
बक्सर।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A.No
-200/2014 (I.A NO.340/2022) एम0 सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में
दिनांक:-18.09.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।


प्रसंग:- भवदीय पत्रांक 05-0606 / वि0, दिनांक-19.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि बक्सर जिला में कोई ऐसा
औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं है जिससे जल-प्रदूषण हो। अर्थात् वैसे इकाई स्थापित नहीं
है।

अतः प्रतिवेदन शून्य समझा जाए।

विश्वासभाजन



महाप्रबंधक

जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर

कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर

डॉ० सुरेश चन्द्र सिन्हा,
असैनिक चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
बक्सर।



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

Dr. Suresh Chandra Sinha,
C.S. Cum C.M.O.,
Buxar

Email Id : csbuxar123@gmail.com , cs-buxar@bihar.gov.in

Phone No. 9470003163

Letter No-.....3957.....

Date-.....08/11/2023.....

प्रेषक,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला गंगा समिति, बक्सर।

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A No. - 200/2014 (L.A. No.340/2022)
एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 18.09.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग- भवदीय कार्यालय का पत्रांक 05-0606/वि० दिनांक 19.10.2023.

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बक्सर जिलान्तर्गत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के बायोमेडिकल वेस्ट का उठाव मे० संगम मेडिसर्व प्रा० लि०, पटना द्वारा किया जाता है। साथ ही नैदानिक स्थापना नियमावली-2013 के तहत निजी अस्पतालों एवं जॉच केन्द्रों (Pathology & Diagnostic Centre) का निबंधन बायोमेडिकल वेस्ट प्रमाण पत्र के आलोक में ही किया जाता है।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन


असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर
08/11/23



एसजेवीएन थर्मल (प्रा.) लिमिटेड

SJVN Thermal (P.) Ltd

(एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी)
(A wholly owned subsidiary of SJVN)

1320 मेगावाट बक्सर ताप विद्युत परियोजना
1320 MW Buxar Thermal Power Project
CIN: U31908BR2007PTC017646



Ref. No.: STPL/BTPP/Envt./2023- 1525

Date: 20.11.2023

District Magistrate,
Buxar

Subject: Hon'ble NGT order dated 18/09/2023 against I.A. No. 340/2022 - M.C. Mehta Vs Union of India & Others – regarding.

Sir,

This has reference to the Office of District Magistrate, Buxar letter No. 05-0606 dated 19/10/2023 vide which action plan has been desired on account of Hon'ble NGT order dated 18/09/2023 against I.A. No. 340/2022 - M.C. Mehta Vs Union of India & Others. In this regard, the following are submitted:

1. 1320 MW Buxer Thermal Power Project is under contraction. During construction due to movement of vehicles and equipment's dust has likely to be emitted. For suppression of dust particles regular water sprinkling is being on road and dust prone areas.
2. The Buxer Thermal Power Project is based on Zero Liquid Discharge Mechanism i.e. no effluent will be released during operation of the project. All the liquid waste will be reutilized after treatment in ash handling, Green belt watering and water sprinkling in coal handling areas.
3. A 60 KLD Sewage Treatment Plant (STP) and 50 M³ per Hour Effluent Treatment Plant (ETP) are being constructed for treatment of sewage water and effluent generated during operation of the Project.
4. M/s L&T (EPC Contractor involved in the construction of Project) has been tie-up with Narayan Collage and Hospital, Rohtas for disposal of Biomedical waste generated form the dispensary and first aid centre.
5. Green belt is being developed to enhance the green cover in the plant premises as per MoEF&CC guidelines.

[Signature]

पंजीकृत कार्यालय: 169, पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना-800013 (बिहार)

दूरभाष: 0612-2263328

परियोजना कार्यालय: एसजेवीएन थर्मल (प्रा.) लिमिटेड,

मोहनपुरवा, अखौरीपुरगोलाघाटा, बक्सर - 802114 (बिहार)

दूरभाष: 06183-295168/फैक्स: 06183-295165

ईमेल: stplbuxarenvir@gmail.com

Regd. Office: 169, Patliputra Colony, Patna - 800013 (Bihar)
Tel: 0612-2263328

Project Office: SJVN Thermal (P.) Ltd,
Mohanpurwa, Akhouripur Gola, Chousa, Buxar - 802114 (Bihar)

Tel: 06183-295168, Fax: 06183-295165


E-mail: stplbuxarenvir@gmail.com



6. Monthly ambient air quality monitoring and ground water quality monitoring are being done.
7. Flue Gas Desulphurization (FGD) for SO_x emission control, Selective Catalytic Reactor (SCR) for NO_x emission control and Electrostatic Precipitator (ESP) for control of particulate matter are being installed for reduction the air pollutants to be generated during operation.
8. During operation of the project automatic 24x7 ambient air quality monitoring and flue gas (Chimney) monitoring will be done.
9. A 275 meter high Chimney has been contracted for dispersal and dilution of flue gas emitted during operation of the project.
10. For disposal of fly ash generated during operation MoEF&CC guideline shall be followed.

Submitted please

Your faithfully


(Uday Kumar Sinha). 20 27
Head (Environment),
STPL/BTPP, Chausa, Buxar



नगर परिषद, बक्सर
(कार्यालय)

Ph no-06183-223109

Email:-nagarparishadbuxar@gmail.com



पत्रांक:- 2900.....

दिनांक:- 16/11/2023

प्रेषक,

प्रेम स्वरूपम, (वि०न०से०)
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बक्सर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
—सह—
अध्यक्ष, जिला गंगा समिति
बक्सर।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण (NGT) नई दिल्ली में दायर O.A No-200/2014 (I.A No. 340/2022) एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक-18.09.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक-05-0606/वि० दिनांक-19.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में नगर परिषद, बक्सर से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।
सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बक्सर।

16/11/23

Nagar Parishad, Buxar

NGT Report of O.A. No-200/2014 (I.A NO-340/2022)

Sr.No	Subject	Action
1	2	3
1	Groundwater contamination with Arsenic, Fluoride, Nitrate, Iron and Lead. Its causing lot of health issues (including cancer/Gallbladder cancer) amongst people residing in the Gangetic belt.	—
2	Sewage being discharges into the river and tributaries- Sewage that includes domestic waster, hospital wastes, industrial areas etc. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the operation of the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna)	<ol style="list-style-type: none"> 1. नगर परिषद बक्सर क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी में गिरने वाले नाले में स्क्रीन (लोहे का जाली) लगाया गया है। 2. किसी भी प्रकार के बायोमेडिक वेस्ट को गंगा में नहीं फेंका जाता है। 3. नगर परिषद बक्सर क्षेत्रान्तर्गत एक भी उधोग नहीं है। 4. STP के लिए बुडकों, बक्सर द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
3	Illegal sand and stone mining – by use of heavy machinery results in damage to the river ecology, depletion of ground water, ecological damage to the aquatic species and migratory birds, erosion of river bank and flood plains, damage to infrastructural projects, loss of royalty and cess etc	नगर परिषद बक्सर अंतर्गत रेत एवं पत्थर का खनन नहीं किया जाता है।
4	Flood Plain encroachment and operation of brick kilns on the floodplains of River Ganga.	—
5	Conservation of aquatic species- Gangetic Dolphins, gharial, others, turtles and several aquatic and terrestrial birds. Bank feature alteration due to land-use changes such as agriculture, construction activites and sand mining has disrupted the lateral connectivity of the river in the floodplain. Sandbar cultivation in the states of Bihar and Jharkhand has rendered the habitat unsuitable for use as nesting sites by turtles and island-nesting birds. These existing threats are furher heightened by the impacts of climate change and altered water quality, questioning the survival of	—

	the aquatic species.	
6	Industrial pollution- discharge of effluents in the tributaries of Ganga River and in the main stem itself, Detailed status report regarding quality assessment of effluents from all industrial area may be provided. Similarly, information on CETP performance report and timeline for establishment new CEPT may also be furnished.	नगर परिषद बक्सर क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी में अपशिष्ट का निर्वहन नहीं किया जाता है। अगर गंगा में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जैसे-शव, मृत जानवर बहकर आता है तो उसका NGT के नियमानुसार निपटारा किया जाता है।
7	Plantation on both sides of the river.	नगर परिषद बक्सर क्षेत्रान्तर्गत गंगा किनारे Plantation हेतु योजना तैयार की जा रही है। बोर्ड से स्वीकृति होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
8	Biomedical waste disposal system- many big towns and cities like Patna, Bhagalpur etc have numerous health clinics and hospitals.	नगर परिषद, बक्सर क्षेत्रान्तर्गत बायोमैडिक अपशिष्ट के निष्पादन हेतु IGMS से पंजीकरण किया गया है। बायोमैडिक अपशिष्ट के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
9	Hazardous waste disposal (Status from all Industries/Industrial estates/Thermal plants/dairy/leather units etc in the 38 districts of Bihar)	—
10	Municipal Solid waste disposal and legacy waste remediation.	नगर परिषद, बक्सर क्षेत्रान्तर्गत निकले कचरे के निष्पादन हेतु लैंडफिल का चयन किया जा चुका है। लैंडफिल के चाहरदीवारी हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिसके उपरांत Solid waste disposal के लिए अग्रसर कार्रवाई की जायेगी। legacy waste remediation के लिए विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। legacy waste के आकलन हेतु कोटेशन प्रकाशित किया गया है। आकलन होने के उपरांत remediation का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11	Shifting of River Ganga from its original/ old course (noticed in districts like Patna)	—


 11/20
 कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर परिषद, बक्सर।

कार्यालय, नगर परिषद् डुमराँव (बक्सर)

पत्रांक:- 2163

दिनांक:- 10.11.2023

E-Mail - npdumraon@gmail.com

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार (बि०न०से०)
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् डुमराँव।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
जिला गंगा समिति,
बक्सर।

विषय:-

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. No.-
200/2014 (L.A No. 340/2022) एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में
दिनांक- 18.09.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक- 05-0654 वि०, दिनांक- 08.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र में प्राप्त निर्देश के आलोक में सादर सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली में दायर O.A. No.-
200/2014 (L.A No. 340/2022) एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक-
18.09.2023 में पारित आदेश में अंकित अपने विभाग से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा किया जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
10.11.2023

[Signature]
10/11/2023
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् डुमराँव

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक:- 2163

दिनांक:- 10.11.2023

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला गंगा समिति, बक्सर को सादर सूचनार्थ
समर्पित।

[Signature]
10.11.2023
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् डुमराँव

Nagar Parishad, Dumraon (Buxar)

NGT Report of O.A. No-200/2014 (I.A NO-340/2022)

Sr.No	Subject	Action
1	2	3
1	Groundwater contamination with Arsenic, Fluoride, Nitrate, Iron and Lead. Its causing lot of health issues (including cancer/Gallbladder cancer) amongst people residing in the Gangetic belt.	नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत में गंगा नदी स्थित नहीं है।
2	Sewage being discharges into the river and tributaries- Sewage that includes domestic waster, hospital wastes, industrial areas etc. Sewerage of rural and urban areas. STP for all major towns in the Ganga basin are required and the operation of the same must be monitored on regular basis. TC/FC is reportedly very high in the main Ganga River (after Patna)	<ol style="list-style-type: none"> 1. नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत सभी बड़े नाले में स्क्रीन (लोहे का जाली) लगाया गया है। 2. किसी भी प्रकार के बॉयोमेडिक वेस्ट को नदी में नहीं फेका जाता है। 3. नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत एक भी उद्योग नहीं है। 4. STP के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है।
3	Illegal sand and stone mining – by use of heavy machinery results in damage to the river ecology, depletion of ground water, ecological damage to the aquatic species and migratory birds, erosion of river bank and flood plains, damage to infrastructural projects, loss of royalty and cess etc	नगर परिषद् डुमराँव अंतर्गत रेत एवं पत्थर का खनन नहीं किया जाता है।
4	Flood Plain encroachment and operation of brick kilns on the floodplains of River Ganga.	नगर परिषद् डुमराँव बाढ़ क्षेत्रान्तर्गत नहीं आता है तथा बाढ़ क्षेत्र अंतर्गत ईट भट्टे नहीं है।
5	Conservation of aquatic species- Gangetic Dolphins, gharial, others, turtles and several aquatic and terrestrial birds. Bank feature alteration due to land-use changes such as agriculture, construction activities and sand mining has disrupted the lateral connectivity of the river in the floodplain. Sandbar cultivation in the states of Bihar and Jharkhand has rendered the habitat unsuitable for use as nesting sites by turtles and island-nesting birds. These existing threats are further heightened by the impacts of climate change and altered water quality, questioning the survival of the aquatic species.	नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत में गंगा नदी स्थित नहीं है।

6	Industrial pollution- discharge of effluents in the tributaries of Ganga River and in the main stem itself, Detailed status report regarding quality assessment of effluents from all industrial area may be provided. Similarly, information on CETP performance report and timeline for establishment new CEPT may also be furnished.	नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत में गंगा नदी स्थित नहीं है।
7	Plantation on both sides of the river.	नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत में गंगा नदी स्थित नहीं है।
8	Biomedical waste disposal system- many big towns and cities like Patna, Bhagalpur etc have numerous health clinics and hospitals.	नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत बाँयोमेडिक अपशिष्ट के निष्पादन हेतु IGIMS से पंजीकरण किया गया है। बाँयोमेडिक अपशिष्ट के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
9	Hazardous waste disposal (Status from all Industries/Industrial estates/ Thermal plants /dairy/ leather units etc in the 38 districts of Bihar)	नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत में उद्योगों/ औद्योगिक संपदा/थर्मल प्लांट/चमड़ा से संबंधित इकाईया स्थित नहीं है।
10	Municipal Solid waste disposal and legacy waste remediation.	नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत निकले कचड़े के निष्पादन हेतु लैण्डफिल का चयन किया गया है, परन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन है। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही Solid waste disposal के लिए अग्रत्तर कार्रवाई की जायेगी।
11	Shifting of River Ganga from its original/ old course (noticed in districts like Patna)	नगर परिषद् डुमराँव क्षेत्रान्तर्गत में गंगा नदी स्थित नहीं है।

Dec 11 2023
Executive Officer

Nagar Parishad Dumraon